(24)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 189 / 2022

नन्द किशोर सोनी ग्राम पोस्ट टमकोर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं, मो0न0 9983352881

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 22.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 189 / 2022 पर दिनांक 01.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 2477—78 दिनांक 01.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर ने पत्रांक राजस्व / 2022 / 459 दिनांक 21.06.2022 द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा इस कार्यालय मे आवेदन प्रेषित किये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / 2022 / 272 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया था कि आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दू संख्या 1 एवं 2 मे चाही गई सूचना हेतु आप द्वारा निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा नही करवाया गया है एवं बिन्दू सं0 3 मे चाही गई सूचना आर0टी0आई0 एक्ट 2005 की धारा 7 उपधारा 9 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के संसाधनों को विचलित करने वाली होने के कारण अदेयता की श्रेणी मे आती है। उक्त पत्रांक के कम मे आवेदक द्वारा निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क इस कार्यालय मे जमा करवाने पर इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / 2022 / 442 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा उक्त आवेदक को बिन्दू सं0 1 एवं 2 मे चाही गई सूचना भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर द्वारा पत्रांक राजस्व / 2022 / 459 दिनांक 21.06.2022 द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा उनके कार्यालय मे आवेदन प्रेषित किये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / 2022 / 272 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया था कि आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दू संख्या 1 एवं 2 मे चाही गई सूचना हेतु आप द्वारा निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा नही करवाया गया है एवं बिन्दू सं0 3 मे चाही गई सूचना आर0टी0आई0 एक्ट 2005 की धारा 7 उपधारा 9 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के संसाधनों को विचलित करने वाली होने के कारण अदेयता की श्रेणी मे आती है। उक्त पत्रांक के कम मे आवेदक द्वारा निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क उनके कार्यालय मे जमा करवाने पर उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व / 2022 / 442 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा उक्त आवेदक को बिन्दू सं0 1 एवं 2 मे चाही गई सूचना भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी [illegible] अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में [illegible]

आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:35 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं